1

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, सन् 1960 ई0)

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1960 ई०]

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 24, 1966

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 14, 1975

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 39, 1976

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 11, 1983

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 15, 1992

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 2008

द्वारा संशोधित

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 7 अप्रैल, 1960 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 12 अप्रैल, 1960 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 22 अप्रैल, 1960 ई0 को स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 26 अप्रैल, 1960 ई0 को प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश में खादी तथा ग्राम उद्योगों के विकास के लिए एक बोर्ड की स्थापना तथा उससे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिए,

अधिनियम

भारतीय गणतंत्र के ग्यारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है ;

अध्याय–1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह धारा तुरन्त प्रचलित होगी और इस अधिनियम के शेष उपबन्ध उस दिनांक से प्रचलित होंगे जो राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति[2] द्वारा तदर्थ निश्चित करे ।

परिभाषाएं

2– विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में —

(1) "बोर्ड" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड से है ;

---

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये दिनांक 2 अप्रैल, 1960 ई0 का सरकारी असाधारण गजट देखिये ।

2. उद्योग (क) विभाग की विज्ञप्ति सं0 2984 (9).18.ए.457.60, दिनांक 14 सितम्बर, 1966 द्वारा इस अधिनियम के शेष प्राविधान 14 सितम्बर, 1960 से प्रवृत्त हुए ।

(2) "सभापति" का तात्पर्य बोर्ड के सभापति से है ;

[1][(2–क) "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" और "अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी" का तात्पर्य धारा 10 के अधीन नियुक्त क्रमशः बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी से है ।]

[2][(2–ख) "वित्तीय सलाहकार" और "लेखा अधिकारी" का तात्पर्य धारा 10 के अधीन नियुक्त बोर्ड के क्रमशः वित्तीय सलाहकार और लेखा अधिकारी से है।]

(3) "खादी" का तात्पर्य भारत में हाथ से काते गये रूई, रेशम या ऊन के तागे से अथवा इनमें से किन्हीं दो या सब तागों के मिश्रण से भारत में हथकरघों पर बुने हुए कपड़े से है ;

(4) "सदस्य" का तात्पर्य बोर्ड के सदस्य से है और सभापति भी इसके अन्तर्गत है;

(5) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है ;

(6) "विनियम" का तात्पर्य धारा 37 के अधीन बने विनियमों से है ;

(7) [3][* * *]

[4][(7–क) "उप–सभापति" का तात्पर्य बोर्ड के उप–सभापति से है ; [5][और]]

(8) "ग्राम उद्योग" का तात्पर्य अनुसूची में उल्लिखित सभी या किसी उद्योग से है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अन्य उद्योग भी है जो धारा 3 के अधीन विज्ञप्ति के कारण अनुसूची में उल्लिखित किया गया समझा जाय।

अनुसूची को बढ़ाने का अधिकार

3–(1) राज्य सरकार स्वतः या बोर्ड की सिफारिश पर, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, किसी अन्य उद्योग को ऐसा ग्राम उद्योग घोषित कर सकती है जिस पर यह अधिनियम प्रवृत्त हो और तदुपरान्त इस प्रकार घोषित उद्योग इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अनुसूची में उल्लिखित उद्योग समझा जायगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी प्रत्येक विज्ञप्ति की एक प्रति उसके जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जायगी।

अध्याय – 2

बोर्ड की स्थापना

बोर्ड की स्थापना

4–सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा एक बोर्ड स्थापित किया जायगा जो उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड कहलायेगा और जो एक सतत् अनुक्रम वाला निगमित निकाय होगा । उसकी एक सामान्य मुहर होगी, और उसे, इस अधिनियम के उपबन्धों के

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1992 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1983 की धारा 2 (क) द्वारा (2क व 2ख खण्ड) बढ़ाये गये। जुलाई 24, 1982 को प्रवृत्त।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1983 की धारा 2 (ख) द्वारा निकाला गया ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1966 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया एवं खण्ड (7) के अन्त में आया हुआ शब्द "और" निकाला गया
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1966 की धारा 2 द्वारा हटाया गया ।

अधीन रहते हुए, सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने और निस्तारित करने तथा संविदा करने का अधिकार होगा तथा उक्त नाम से वह वाद प्रस्तुत कर सकेगा और उसके विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

बोर्ड का गठन

[1][5– (1) बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् —–

(क) सरकारी सदस्य —–

(एक) प्रभारी मंत्री, खादी तथा ग्राम उद्योग, राज्य सरकार, जो सभापति होगा ;

(दो) उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश या उनके द्वारा नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति जो संयुक्त निदेशक से निम्न पद का न हो ;

[2][(तीन) प्रभारी सचिव, खादी तथा ग्राम उद्योग, उत्तर प्रदेश सरकार या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति जो उप सचिव से निम्न पद का न हो ;]

(चार) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार वित्त विभाग या उसके द्वारा नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति जो उप सचिव से निम्न पद का न हो ;

(पाँच) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, ग्राम विकास विभाग या उनके द्वारा नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति जो उप सचिव से निम्न पद का न हो ।

[3][(पाँच–क) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, नियोजन विभाग या उनके द्वारा नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति जो उप सचिव से निम्न पद का न हो ;

(पाँच–ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी या, यदि वह पहले से ही किसी अन्य हैसियत से बोर्ड का सदस्य है तो अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी।][3]

(ख) गैर सरकारी सदस्य —–

(छ:) सात गैर सरकारी सदस्य जिन्हें राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायगा जो उसकी राय में खादी तथा ग्राम उद्योग के विकास से सम्बद्ध विषयों में अनुभव रखने और दक्षता के कारण अर्ह हों ।

[4][(2) राज्य सरकार गैर–सरकारी सदस्यों में से एक उप–सभापति नियुक्त करेगी।]

(3) प्रत्येक गैर सरकारी सदस्य की नियुक्ति को गजट में अधिसूचित किया जायगा ।]

सदस्य होने के लिए अनर्हता

[5][6–कोई व्यक्ति बोर्ड का सदस्य चुने जाने या होने के लिए अनर्हित होगा, यदि वह —–

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1983 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1992 की धारा 3(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1992 की धारा 3(ख) द्वारा बढ़ाया गया ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 09, 2008 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, 1975 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1][(क) ऐसे अपराध के लिए सिद्ध–दोष हुआ हो जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता सम्बन्धित हो ; या

(ख) अननुमोचित दिवालिया हो ; या

(ग) विकृत चित्त का हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया हो ; या

(घ) धारा 12 की उपधारा (2) में की गई व्यवस्था को छोड़कर, बोर्ड के अधीन किसी लाभप्रद पद पर हो ; या

(ङ) स्वयं या किसी भागीदार, सेवायोजक या कर्मचारी द्वारा बोर्ड के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या सेवायोजन में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक या किसी अन्य प्रकार का कोई अंश या हित रखता हो ; या

(च) किसी ऐसी कम्पनी या सहकारी या अन्य समिति का निदेशक या सचिव, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी हो जो बोर्ड के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या सेवायोजन में कोई अंश या हित रखती हो ।

स्पष्टीकरण–किसी व्यक्ति के बारे में केवल इस कारण से कि वह किसी ऐसी कम्पनी या सहकारी या अन्य समिति में अंशधारी है जिसका कि ऐसा अंश या हित है, यह नहीं समझा जायगा कि उसका बोर्ड के साथ, उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से की गई किसी संविदा या सेवायोजन मे कोई अंश या हित है।

गैर–सरकारी सदस्यों की पदावधि

6–क– (1) बोर्ड का कोई गैर–सरकारी सदस्य [2][एक वर्ष] की अवधि के लिए पद धारण करेगा जब तक कि राज्य सरकार उसकी पदावधि गजट में विज्ञप्ति द्वारा पहले ही समाप्त न कर दें :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार समय–समय पर गजट में विज्ञप्ति द्वारा ऐसे सदस्य की पदावधि में कुल मिलाकर एक वर्ष से अनधिक अवधि तक की वृद्धि कर सकती है।

(2) उप–सभापति की पदावधि उपधारा (1) के अधीन गैर–सरकारी सदस्य के रूप में उसकी पदावधि के साथ समाप्त होगी ।

(3) उप–सभापति या कोई गैर–सरकारी सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है और ऐसा त्याग–पत्र स्वीकार कर लिए जाने पर यह समझा जायगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है ।

(4) उप–सभापति या किसी गैर–सरकारी सदस्य के पद में आकस्मिक रिक्ति राज्य सरकार द्वारा नई नियुक्ति करके भरी जायेगी, और इस प्रकार नियुक्त उप–सभापति या अन्य सदस्य उप–सभापति या सदस्य की, जिसके स्थान पर वह इस प्रकार नियुक्त किया जाय, शेष पदावधि के लिए पद धारण करेगा ।

कतिपय दशाओं में प्रशासक की नियुक्ति

6–ख– जहाँ सभी गैर–सरकारी सदस्यों की पदावधि या बढ़ाई गई पदावधि समाप्त हो जाय या पहले ही समाप्त कर दी जाय और उनके स्थान पर नये गैर–सरकारी सदस्य नियुक्त न किये जाये नये गैर–सरकारी सदस्यों को नियुक्ति होने तक][1] —

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, 1975 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 09, 2008 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(क) बोर्ड, उसके सभापति, उप–सभापति तथा समितियों के सभी कृत्य तथा कर्त्तव्य राज्य सरकार द्वारा तदर्थ नियुक्त अधिकारी में (जिसे आगे प्रशासक कहा गया है) निहित हो जायेंगे और उनका निर्वहन तथा पालन, राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन रहते हुए, उसके द्वारा किया जायगा, और प्रशासक को विधि की दृष्टि से बोर्ड, सभापति, उप–सभापति या समिति, जैसा भी अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, समझा जायगा ;

(ख) प्रशासक का वेतन और भत्ते, यदि कोई हों, जो उस निमित्त राज्य सरकार के सामान्य या विशेष द्वारा नियत किये जाये, बोर्ड की निधि से दिये जायेंगे ;

(ग) राज्य सरकार प्रशासक को सलाह देने के लिए अथवा बोर्ड के ऐसे कृत्यों का निर्वहन और कतव्यों का पालन करने के लिए, जिसे वह उस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, कोई समिति या अन्य निकाय गठित कर सकती है।][1]

बोर्ड की बैठकें

7–(1) बोर्ड की बैठके ऐसे समय तथा स्थानों पर होंगी और, उपधारा (2) तथा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, वह अपनी बैठकों मे कार्य संपादन के सम्बन्ध में (जिसके अन्तर्गत बैठकों में गणपूर्ति भी है) ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा की जाय ।

[2][(2) सभापति, या उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति, या दोनो को अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया कोई सदस्य, बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करेगा ;]

(3) बोर्ड की बैठक में आने वाले समस्त प्रश्नों का निर्णय उपस्थित तथा मत देने वाले समस्या के बहुमत से किया जायगा और दोनो ओर बराबर मत होने की दशा में [3][अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति] को एक दूसरा या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।

[4][(4) बोर्ड की किसी विषय पर परामर्श अथवा सहायता देने के प्रयोजन से सभापति, किसी व्यक्ति को बोर्ड को बैठक में उपस्थित होने के लिये आमंत्रित कर सकता है । ऐसे आमंत्रित व्यक्ति का बोर्ड के विचार–विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु गत देने का अधिकार नही होगा ।]

सदस्यों के स्थान रिक्त होने या बोर्ड के संघटन में त्रुटि के कारण बोर्ड के कार्य या कार्यवाहियाँ अवैध न होंगी

8– बोर्ड के कोई कार्य या कार्यवाही बोर्ड में किसी रिक्ति या उसके संघटन में किसी त्रुटि के कारण ही अवैध न समझी जायगी ।

बोर्ड का कार्यालय

[5][**9**– बोर्ड का कार्यालय ऐसे स्थान पर स्थित होगा जो राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञापित करे और जब तक इस प्रकार विज्ञापित न किया जाय तब तक वह

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, 1975 की धारा 3 (1) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1966 की धारा 5 (क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उपर्युक्त की धारा 5 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उपर्युक्त की धारा 5 (ग) द्वारा उपधारा (4) बढ़ायी गई ।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1966 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

कानपुर में ही स्थित रहेगा ।]

[1][10–(1) राज्य सरकार ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जिन्हें वह सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें, ऐसे व्यक्ति को जिसके अन्तर्गत सरकारी सेवक भी हैं, जिसे वह उचित समझे —— बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी

(क) मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

[2][(कक) अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी]

(ख) वित्तीय सलाहकार, और

(ग) लेखा अधिकारी,

नियुक्त करेगी ।

(2) लेखा अधिकारी को बोर्ड के परामर्श से नियुक्त किया जायगा ।

(3) बोर्ड इस निमित्त बनाये गये विनियमों के अनुसार ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्त कर सकता है जिन्हें वह उचित समझें।]

[3] [11–(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात् —— मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वित्तीय सलाहकार और लेखा अधिकारी की शक्तियाँ और कर्तव्य

(क) समस्त प्रशासनिक कार्य पर नियंत्रण रखना ;

(ख) बोर्ड की नीतियों और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना ;

(ग) सभापति के परामर्श से बोर्ड की बैठक बुलाना, उसका कार्यवृत्त तैयार करना और उसमें किये गए विनिश्चयों को कार्यान्वित कराना ;

(घ) बोर्ड के अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों की चरित्र पंथियों में प्रविष्टियाँ करना ;

(ङ) बोर्ड की ओर से संविदाओं और सम्पत्ति के हस्तान्तरण–पत्रों को निष्पादित करना ;

(च) अधिनियम और नियमों के अधीन अपेक्षित या राज्य सरकार और खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मांगे गये प्रतिवेदन, विवरणियों और अन्य सूचनाओं को तैयार कराना;

(छ) बोर्ड के बैंक का लेखा चलाना ;

(ज) धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन वार्षिक प्रतिवेदन को तैयार कराना और उसे बोर्ड को प्रस्तुत कराना ;

(झ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जैसा नियत किया जाय ।

(2) वित्तीय सलाहकार और लेखा अधिकारी की ऐसी शक्तियां होंगी और वे ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जैसा नियत किया जाय ।]

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1983 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1992 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1983 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

12–(1) [1][धारा 10 की [2][उपधारा (3)] के अधीन नियुक्त बोर्ड के अधिकारियों तथा कर्मचारियों] की सेवा की शर्तें वे होगा जो तदर्थ बनाये गये विनियमों द्वारा व्यवस्थित की जाये । बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और उसके सदस्यों की पदावधियां

[3] [(2) ऐसे सामान्य अथवा विशेष आदेशों के अनुसार जो राज्य सरकार समय–समय पर तदर्थ जारी करे, बोर्ड से उप–सभापति की पारिश्रमिक दिया जायेगा और अन्य गैर–सरकारी सदस्य यात्रा तथा दैनिक भत्ता पाने के हकदार होंगे।]

[4][**13**–बोर्ड की ओर से प्रत्येक संविदा और सम्पत्ति का हस्तान्तरण–पत्र लिखित रूप में होगा और उसका निष्पादन मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा ऐसी रीति से किया जायगा जैसी नियत की जाय और बोर्ड का प्रत्येक आदेश या विनिश्चय उप–सभापति या मुख्य कार्यपालक अधिकारी या ऐसे अन्य सदस्य या अधिकारी द्वारा जिसे बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, अधिप्रमाणित किया जायगा ।] बोर्ड के लिखतों या आदेशों का अधि–प्रमाणीकरण

14– [5][* * * *]

अध्याय – 3

बोर्ड के कृत्य

15–(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, बोर्ड के कृत्य सामान्यतः ये होंगे– खादी तथा ग्राम उद्योगों की आयोजन बनाना तथा उनका संगठन, विकास एवं विनियम करना [6][और अपने द्वारा बनायी गयी योजनाओं को कार्यान्वित करना।] बोर्ड के कृत्य

(2) विशेषतया तथा पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड कोई ऐसा कार्य कर सकता है जो वह निम्नलिखित के सम्बन्ध में उपयुक्त समझे —

(क) खादी के उत्पादन अथवा ग्राम उद्योगो में लगे हुए अथवा उसमें अभिरूचि रखने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण की आयोजना बनाना तथा उसका संगठन करना ;

(ख) कच्चे माल तथा उपकरणों का एक सुरक्षित भंडार बनाना और उन्हें खादी के उत्पादन अथवा ग्राम उद्योगों में लगे हुए व्यक्तियों को ऐसी मितव्ययी दरों पर देना जो बोर्ड की राय में उपयुक्त हों ;

(ग) खादी ग्राम उद्योगों की वस्तुओं के प्रचार तथा क्रय–विक्रय के लिए व्यवस्था करना।

(घ) खादी के उत्पादन की प्रविधि तथा ग्राम उद्योगो के विकास में शोध को प्रोत्साहित करना तथा बढ़ाना अथवा खादी या ग्राम उद्योगो से सम्बन्धित समस्याओं के अध्ययन के लिए सुविधायें देना ;

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या XXIV, 1966 की धारा 9 (क) द्वारा (बोर्ड के कर्मचारियों) के लिये प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1983 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, 1975 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1963 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1975 की धारा 11 द्वारा निकाला गया ।
6. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1966 की धारा 12 द्वारा बढ़ाया गया।

(ङ) खादी अथवा ग्राम उद्योगों के विकास के लिए स्थापित संस्थाओं का अनुरक्षण करना या उन्हें अनुरक्षण में सहायता देना ;

(च) खादी का उत्पादन अथवा ग्राम उद्योगों का विकास आरम्भ करना, उसमें सहायता देना अथवा उसे प्रोत्साहित करना ;

(छ) खादी के निर्माताओं तथा/अथवा ग्राम उद्योगों में लगे व्यक्तियों के सहकारी प्रयास को बढ़ाना तथा उसे प्रोत्साहित करना ;

(ज) खादी के कार्य तथा ग्राम उद्योगों में लगे हुए व्यक्तियों और संस्थाओं में जिनके अन्तर्गत सहकारी समितियां भी है, समन्वय कराना ; तथा

(झ) किसी अन्य विषय का कार्यान्वयन जो नियत किया जाय ।

बोर्ड के कृत्यों की सीमाएं

16–(1) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में बोर्ड ऐसे निदेशों से बाध्य होगा जो राज्य सरकार उसे दे ।

(2) बोर्ड, राज्य सरकार की लिखित पूर्व अनुमति के बिना अचल सम्पत्ति का निस्तारण अथवा अर्जन नहीं करेगा ।

अध्याय — 4

कार्यक्रम तथा योजनायें और वित्तीय विवरण (बजट) तैयार और प्रस्तुत करना

कार्यक्रम तथा योजनायें बनाना और प्रस्तुत करना

17–बोर्ड का यह कर्त्तव्य होगा कि वह वित्तीय वर्ष में कार्यान्वयन के लिए कार्य तथा योजनाओं का कार्यक्रम बनाये और उसे राज्य सरकार को ऐसे आकारों में और ऐसे ब्यौरों के साथ तथा ऐसे दिनांक अथवा दिनांकों तक प्रस्तुत करे, जो नियत किये जायें ।

अनुपूरक कार्यक्रम तथा योजनायें

18–बोर्ड अनुपूरक कार्यक्रम तथा योजनायें तैयार कर सकता है और उन्हें राज्य सरकार को ऐसे आकारों में तथा ऐसे ब्योरों के साथ प्रस्तुत कर सकता है जो नियत किये जाये ।

कार्यक्रमों तथा योजनाओं का अनुमोदन

19–राज्य सरकार, यथास्थिति, धारा 17 या धारा 18 के अधीन प्रस्तुत किये गये कार्यक्रम अथवा योजनाओं को अथवा अनुपूरक कार्यक्रमों या योजनाओं को पूर्णतः या ऐसे परिष्कारों के सहित, जो वह उपयुक्त समझे, अनुमोदित कर सकता है तथा इस प्रकार अनुमोदित कार्यक्रम अथवा योजनायें उस वर्ष या अवधि के कार्यक्रम अथवा योजनायें होंगी जिसके लिए वे बनायी गयी हों ।

कार्यक्रमों तथा योजनाओं का कार्यान्वयन

20–धारा 19 के अधीन कार्यक्रमों अथवा योजनाओं या अनुपूरक कार्यक्रमों अथवा योजनाओं के सम्बन्ध में, राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने पर बोर्ड उन्हें कार्यान्वित करेगा ।

वार्षिक वित्तीय विवरण

21–(1) बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में अपनी उस वर्ष की प्राक्कलित प्राप्तियों तथा व्यय का विवरण तैयार करायेगा तथा उसे अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत करायेगा ।

(2) वार्षिक वित्तीय विवरण मे दिये गये व्यय के प्राक्कलनों में निम्नलिखित पृथक् रूप से दिखाये जायेंगे ;

(क) [1][उप–सभापति] तथा अन्य गैर–सरकारी सदस्यों के भत्ते ;

(ख) बोर्ड के [2][अधिकारियों और कर्मचारियों] की उपलब्धियां तथा भत्ते और बोर्ड के कार्यालय से सम्बन्धित अन्य व्यय ;

(ग) ऋण सम्बन्धी व्यय जिसके लिए बोर्ड उत्तरदायी हो, जिसके अन्तर्गत ब्याज, निक्षेप निधि पर व्यय तथा ऋण शोधन व्यय और ऋण लेने तथा ऋण शोधन तथा तत्सम्बन्धी कार्यो से सम्बन्धित अन्य व्यय भी हैं ;

(घ) किसी न्यायालय अथवा अधिकरण के निर्णय, डिक्री अथवा पंचनिर्णय की पूर्ति के लिए अपेक्षित धनराशियां ;

(ङ) बोर्ड के कार्यक्रमों तथा योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित धन राशियां; और

(च) कोई अन्य व्यय जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियत किया जाय ।

अनुपूरक वित्तीय विवरण

22–यदि चालू वित्तीय वर्ष में किसी विशेष सेवा, कार्यक्रम या योजना पर व्यय किये जाने के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण द्वारा प्राधिकृत तथा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि उस वर्ष के कार्यों के लिए अपर्याप्त पायी जाय अथवा यदि चालू वित्तीय वर्ष में किसी नयी सेवा, कार्यक्रम या योजना के लिए, जो उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में अपेक्षित न हो, अनुपूरक व्यय की आवश्यकता उत्पन्न हो जाय तो, बोर्ड दूसरा विवरण तैयार करायेगा जिसमें उक्त व्यय की प्राक्कलित धनराशि दिखायी जायगी और उसे अनुमोदन के लिए राज्य सरकार के पास भिजवायेगा ।

वार्षिक तथा अनुपूरक वित्तीय विवरणों का राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन

23–(1) राज्य सरकार धारा 21 अथवा धारा 22 के अधीन, जैसी भी दशा हो, प्रस्तुत किये गये वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा अनुपूरक वित्तीय विवरण का अनुमोदन पूर्णतः अथवा ऐसे परिष्कारों के साथ, जो वह ठीक समझे, कर सकती है ।

(2) राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार अनुमोदित वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा अनुपूरक वित्तीय विवरण उस वर्ष के लिए बोर्ड का "वार्षिक वित्तीय विवरण" अथवा "अनुपूरक वित्तीय विवरण" होगा ।

बोर्ड का व्यय करने का अधिकार

24–धारा 25 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, बोर्ड को इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत प्रयोजनों पर ऐसी धनराश्यिां व्यय करने का अधिकार होगा, जो वह उचित समझे।

बोर्ड के व्यय करने के अधिकार की सीमायें

25–(1) उपधारा (2) तथा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई भी धनराशि बोर्ड द्वारा अथवा उसकी ओर से धारा 23 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा अनुपूरक वित्तीय विवरण, जैसी भी दशा हो, के अनुसरण से अन्यथा व्यय न की जायगी ।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1966 की धारा 13 (1) द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उपर्युक्त की धारा 13 (2) द्वारा "कर्मचारियों" के लिये प्रतिस्थापित ।

(2) बोर्ड, वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा अनुपूरक वित्तीय विवरण की, जैसी भी दशा हो, सीमाओं के भीतर, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, व्यय के एक शीर्षक से दूसरे शीर्षक में अथवा एक योजना के लिये की गयी व्यवस्था से दूसरी योजना के सम्बन्ध में की गयी व्यवस्था में पुनर्विनियोग को स्वीकृत कर सकता है, परन्तु किसी भी दशा मे खादी लेखे से ग्राम उद्योग लेखे में अथवा ग्राम उद्योग लेखे से पुनर्विनियोग नही किया जायगा ।

(3) बोर्ड, ऐसी सीमाओ के भीतर तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जो नियत की जाये, किसी शीर्षक के अन्तर्गत अथवा उसी शीर्षक के अन्तर्गत आने वाली किसी विशेष योजना के सम्बन्ध में वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा अनुपूरक वित्तीय विवरण में व्यवस्थित सीमा से अधिक व्यय तब तक कर सकता है जब तक कि व्यय उक्त शीर्षक के सम्बन्ध में उल्लिखित कुल धनराशि से अधिक न हो ।

वसूल न होने योग्य देयों को बट्टे खाते में डालने का अधिकार

[1][**25**–क–बोर्ड किसी अकेले मामले में एक हजार रूपए तक की और किसी वित्तीय वर्ष में कुल मिला कर दस हजार रूपए तक की धनराशि को जो उसे देय हो, बट्टे–खाते में डाल सकता है यदि उसकी राय में ऐसी धनराशि वसूल होने योग्य न हो ।]

अध्याय–5

वित्त लेखे, लेखा परीक्षा तथा प्रतिवेदन

बोर्ड की निधि

[2][**26**–(1) बोर्ड की एक निधि होगी जिसमें बोर्ड के द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त समस्त धनराशि जमा की जायगी ।

(2) बोर्ड की निधि को समस्त धनराशि सरकारी कोषागार में दो पृथक वैयक्तिक खाता लेखा के अधीन जो क्रमशः "खादी लेखा" और "ग्राम उद्योग लेखा" कहलायेंगे, और किसी अन्य तत्सदृश लेखा में भी जिसे बोर्ड द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में जब आवश्यक हो, खोला जायगा, जमा की जायगी ।

(3) इस निमित्त बनाये गये किसी नियम के अधीन रहते हुए, बोर्ड समय–समय पर ऐसे वैयक्तिक खाता लेखा से ऐसी धनराशि निकाल सकता है, जैसी उसके प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और यदि वह ऐसा करना उचित समझे तो ऐसी कोई धनराशि किसी अनुसूचित बैंक के लेखा में जमा कर सकता है ।]

बोर्ड द्वारा उपहार, आर्थिक सहायता इत्यादि का स्वीकार किया जाना

27– बोर्ड, अनुदान, आर्थिक सहायता, दान तथा उपहार, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से स्वीकार कर सकता है ।

बोर्ड को आर्थिक सहायता तथा ऋण

28–(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए बोर्ड को समय–समय पर ऐसी शर्तो पर आर्थिक सहायता तथा अनुदान दे सकती है जो राज्य सरकार तदर्थ आरोपित करे ।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों तथा तदन्तर्गत कराए गए नियमों और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार तदर्थ आरोपित करे, बोर्ड समय–समय पर तथा राज्य

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1966 की धारा 14 द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1963 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित ।

सरकार की पूर्व स्वीकृति से, खादी लेखा या ग्राम उद्योग लेखा अथवा बोर्ड की किसी अन्य आस्ति की प्रतिभूति पर या अन्य प्रकार से इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए अपेक्षित कोई धनराशि उधार ले सकता है ।

विवरण तथा प्रतिवेदन

29–(1) बोर्ड, राज्य सरकार को ऐसे समय और ऐसे आकार में तथा रीति से, जो नियत की जाय या जैसा कि राज्य सरकार निदेशित करे, खादी तथा ग्राम उद्योगों को बढ़ाने तथा उनका विकास करने के किसी प्रस्तावित या विद्यमान कार्यक्रम या योजना के सम्बन्ध नें ऐसी विवरणियों और विवरण तथा ऐसे ब्यौरे प्रस्तुत करेगा, जिनकी राज्य सरकार समय समय पर अपेक्षा करे ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथासंभव शीघ्र राज्य सरकार को एक प्रतिवेदन ऐसे आकार में तथा दिनांक तक जो नियत किए जाएं, प्रस्तुत करेगा, जिसमें वह पिछले वित्तीय वर्ष के अपने कार्यों, नीतियों तथा कार्यक्रमों का यथार्थ और पूरा विवरण देगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्राप्त प्रतिवेदन की एक प्रति राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

लेखा तथा लेखा परीक्षा

30–(1) बोर्ड अपने कृत्यों के सम्बन्ध मे ऐसी लेखा पुस्तकें तथा अन्य अभिलेख ऐसे आकार में तथा ऐसी रीति से रखवाएगा जो नियत की जाय ।

(2) बोर्ड, अपना वार्षिक लेखा बन्द करने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, लेखों का एक वार्षिक विवरण ऐसे आकार में और ऐसी रीति से तैयार करेगा जो नियत की जाय ।

[1][(3) बोर्ड के लेखों की लेखा परीक्षा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा की जायगी ।]

(4) बोर्ड के लेखों का वार्षिक विवरण, उस पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित, बोर्ड द्वारा राज्य सरकार को ऐसी कार्यवाही के लिए प्रस्तुत किया जायगा, जो वह उचित समझे।

(5) उपधारा (4) के अधीन प्राप्त बोर्ड के लेखों के वार्षिक विवरण की एक प्रति उस पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी

अध्याय — 6

प्रकीर्ण

बोर्ड की समितियाँ

[2][**31**– (1) ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे कर्तव्यों का पालन करने या ऐसे कृत्यों का सम्पादन करने के प्रयोजनार्थ, जैसी नियत की जाय, बोर्ड निम्नलिखित की स्थापना करेगा :–

(क) चयन समिति ;

(ख) वित्त समिति ।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1966 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1983 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][(2) चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे : —

(क) मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो सभापति होगा ;

(ख) उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश या उनके द्वारा नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति जो संयुक्त निदेशक से निम्न पद का न हो ;

(ग) राजकीय खादी और ग्रामोद्योग आयोग निदेशालय का एक प्रतिनिधि ;

(घ) सम्बद्ध परियोजना अधिकारी जो प्राविधिक सलाहकार होगा ।

(3) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे : —

(क) बोर्ड का सभापति, (सभापति) ;

(ख) बोर्ड के दो गैर–सरकारी सदस्य जो सभापति द्वारा नाम–निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ग) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, उद्योग विभाग या उनके द्वारा नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति जो उप–सचिव से निम्न पद का न हो ;

(घ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग या उनके द्वारा नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति जो उप सचिव से निम्न पद का न हो ;

(ङ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी ;

(च) वित्तीय सलाहकार ;

(छ) लेखा अधिकारी जो सदस्य–सचिव होगा ।

(4) बोर्ड की समितियों के गैर–सरकारी सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसी नियत की जाय ।

(5) बोर्ड की समितियों के सदस्य ऐसे सामान्य या विशेष आदेशों के अनुसार यात्रा और दैनिक भत्ता पायेंगे जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त जारी करे ।

(6) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वित्त समिति निम्नलिखित कृत्यों का संपादन और कर्तव्यों का पालन करेगी, अर्थात् ––

(क) ऋण/अनुदान की मांगों पर विचार करना और उपलब्ध बजट के आधार पर स्वीकृति के लिये विनिश्चय करना ;

(ख) बजट अनुमान तैयार करना ;

(ग) वित्तीय प्रगति, वसूली, उपयोग प्रमाण–पत्र आदि की संवीक्षा करना ।

(7) उपधारा (1) मे निर्दिष्ट समितियों का गठन होने के पश्चात् उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1982 के प्रारम्भ के पूर्व इस अधिनियम के अधीन गठित प्रत्येक समिति या उपसमिति विद्यमान नही रह जायगी ।

शक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन

31–क–बोर्ड सामान्य या विशेष आदेश द्वारा या तो बिना शर्त या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिनके अन्तर्गत स्वयं पुनर्विलोकन करने की शर्त भी है, जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय,उप सभापति, मुख्य कार्यपालक अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को][1]

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1983 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।

अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे ।]

[1][31–ख– (1) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, सलाहकार समिति का गठन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट विषयों पर बोर्ड को सलाह देने के लिए कर सकती है । सलाहकार समिति

(2) सलाहकार समिति में, राज्य में प्रत्येक आयुक्त मंडल से एक–एक प्रतिनिधि होगा जो खादी और ग्राम उद्योग के क्षेत्र में रूचि रखता हो ।]

[2][32–(1) यदि राज्य सरकार की यह राय है कि बोर्ड इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असफल रहा है अथवा किसी अन्य कारण से बोर्ड को बनाये रखना आवश्यक नहीं है तो वह गजट में विज्ञप्ति द्वारा बोर्ड को ऐसे दिनांक से विघटित कर सकती है जिसे विज्ञप्ति मे विनिर्दिष्ट किया जाय । बोर्ड का विघटन

(2) बोर्ड को विघटित करने के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर, ––

(क) बोर्ड के सभापति, उप-सभापति और सभी सदस्य, विघटन के दिनांक से अपना पद रिक्त कर देंगे ;

(ख) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन समस्त अधिकार और कृत्य जिनका प्रयोग तथा निर्वहन बोर्ड द्वारा अथवा उसकी ओर से किया जा सकता हो, विघटन के दिनांक से राज्य सरकार द्वारा या ऐसे एकल व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा जिसे वह तदर्थ निर्दिष्ट करे राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन रहते हुए प्रयुक्त तथा निर्वाहित किए जायेंगे, और ऐसी समस्त विद्यमान संविदाएं, करार तथा अन्य लिखतें जिसमें बोर्ड पक्षकार हो अथवा जो बोर्ड के पक्ष में हो राज्य सरकार द्वारा या, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति अथवा संस्था, द्वारा अथवा उसके विरूद्ध प्रवृत्त किए जा सकते है अथवा उन पर कार्यवाही की जा सकती है, और बोर्ड द्वारा अथवा उसके विरूद्ध विचाराधीन समस्त वाद, अपीले तथा अन्य विधिक कार्यवाहियां, राज्य सरकार द्वारा या, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध जारी रखी जा सकती हैं, अभियोजित की जा सकती हैं अथवा प्रवृत्त की जा सकती हैं ;

(ग) बोर्ड की निधि तथा उसमें निहित अन्य सम्पत्तियां राज्य सरकार में निहित हो जायेगें ; और

(घ) समस्त दायित्व, जो वैध रूप में विद्यमान हों, तथा बोर्ड के विरूद्ध प्रवर्तनीय हों, राज्य सरकार के विरूद्ध [3][X X X] प्रवर्तनीय होंगे।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी भी समय, धारा 4 के अधीन पुनः बोर्ड की स्थापना कर सकती है, और तदुपरान्त —

(क) अधिकार और कृत्य तथा उपधारा (2) के खण्ड (ख) में अभिदिष्ट संविदाओं, करारों और अन्य लिखितों और वादों, अपीलों तथा अन्य विधिक कार्यवाहियों के संबंध में अधिकार और दायित्व भी, बोर्ड में पुनर्निहित हो जायेंगे ;

(ख) उपधारा (2) के खण्ड (ग) में अभिदिष्ट निधि तथा अन्य सम्पत्तियां जो राज्य

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1983 की धारा 10 द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, 1975 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 39, 1976 की धारा 2 द्वारा निकाला गया एवं प्रवर्तनीय राज्य प्रतिस्थापित किया गया।

सरकार के पास खण्ड (घ) में अभिदिष्ट दायित्वों को पूरा करने के पश्चात् शेष रह जायें, बोर्ड में पुनर्निहित हो जायेंगी ।][1]

33–[* * *][2]

34–बोर्ड के समस्त सदस्य तथा कर्मचारी जब वे इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अनुसरण में कार्य कर रहे हो या करते हुए भाषित हों, इंडियन पीनल कोड, 1860 (ऐक्ट सं0 45, 1860) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक (Public Servant) समझे जायेंगे । **बोर्ड के सदस्य तथा कर्मचारी लोक सेवक होंगे अधिनियम संख्या 45,1860**

35–इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किये गये या किये गए भावित (purported) होने वाले किसी कार्य के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही न की जा सकेगी । **इस अधिनियम के अधीन की गयी कार्यवाही की रक्षा**

[3]**[35–क**– खादी तथा ग्राम उद्योग के विकास के लिये बोर्ड द्वारा दिये गए किसी व्यक्ति को दिये गए किसी ऋण या अग्रिम धन या अनुदान के संबंध में यदि कोई धनराशि वसूल होने योग्य हो तो उसे विधि द्वारा व्यवस्थित किसी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मालगुजारी को बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है । **कतिपय देयोंकी मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूली**

36–(1) राज्य सरकार, पूर्व प्रकाशन के पश्चात् और सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है । **नियम बनाने के अधिकार**

(2) विशेषतः तथा पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित, सभी या किसी विषय के लिए व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् —

(क) [4][* * *]

(ख) [4][* * *]

[5][(ग) वित्तीय सलाहकार और लेखा अधिकारी की शक्तियाँ और कर्तव्य ;]

(घ) बोर्ड के कृत्यों से सम्बद्ध विषय ;

(ङ) वार्षिक वित्तीय विवरण में समाविष्ट किये जाने वाले व्यय ;

(च) बोर्ड के कार्यक्रमों तथा योजनाओं से सम्बद्ध विषय ;

(छ) बोर्ड के वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुपूरक वित्तीय विवरण से सम्बद्ध विषय ;

[5][(ज) धारा 29 के अधीन वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना ।]

(झ) वह आकार और रीति जिसके अनुसार धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, 1975 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उपर्युक्त की धारा 9 द्वारा निकाला गया ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1966 की धारा 17 द्वारा बढ़ाई गयी ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 24, 1966 की धारा 18 (1) द्वारा खण्ड (क) तथा खण्ड (ख) निकाल दिये गये ।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1983 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित ।

के कृत्यों के सम्बन्ध में लेख तथा अन्य अभिलेख रक्खे जायेंगे ;

(ञ) धारा 30 की उपधारा (2) के अधीन लेखों का वार्षिक विवरण तैयार करना और उसे प्रस्तुत करना ;

(ट) धारा 6 के अधीन सदस्य को हटाने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ठ) धारा 28 के अधीन धनराशियां उधार लेने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा पालन की जाने वाली शर्तें ;

(ड) वे शर्तें जिनके अधीन और वह रीति जिसके अनुसार बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से संविदे किये जा सकते है ; तथा

(ढ) कोई अन्य विषय जो नियत किया जाना हो या नियत किया जा सके ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्त शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब उसका सत्र हो रहा हो, एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि के लिए रखे जायेंगे और जब तक कि कोई वाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, सरकारी गजट में उनके प्रकाशन के दिनांक से, ऐसे परिष्कार या रद्द किये जाने के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार कि कोई ऐसा परिष्कार या रद्द किया जाना नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

विनियम बनाने का अधिकार

37–(1) बोर्ड, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, इस अधिनियम तथा तदन्तर्गत बनाये गये नियमों से सुसंगत विनियम बना सकता है तथा उन्हें सरकारी गजट में विज्ञापित कर सकता है ।

(2) विशेषतः तथा पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बोर्ड निम्नलिखित की व्यवस्था करने के लिये विनियम बना सकता है ––

(क) बोर्ड या उसकी समितियों की कार्य–सम्पादन की प्रक्रिया ;

[1][(ख) धारा 10 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें ;]

(ग) बोर्ड के कर्मचारियों के कृत्यों तथा कर्तव्यों से सम्बद्ध विषय ;

(घ) [2][* * *]

(ङ) [2][* * *]

(च) कोई अन्य विषय जिसकी व्यवस्था विनियमों द्वारा करनी हो या की जा सके।

अपवाद

38–(1) इस अधिनियम की कोई बात किसी ऐसे उद्योग पर प्रवृत्त न होगी और न प्रवृत्त समझी जायगी जिसका संघ द्वारा नियंत्रण, संसद, विधि द्वारा लोक हित में इष्टकर घोषित करे ।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1983 की धारा 12(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1983 की धारा 12(ख) द्वारा निकाला गया ।

(2) इस अधिनियम के उपबन्ध, खादी तथा ग्राम उद्योगों के सम्बन्ध में तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण के लिये।

अनुसूची

[देखिये धारा 2 (8) एवं 3 (1)]

1—मधुमक्खी — पालन ।

2—कुटीर दियासलाई — उद्योग ।

3—मिट्टी के वस्तुओं का कुटीर — उद्योग ।

4—कुटीर साबुन — उद्योग ।

5—खाल उतारना, उसको सुरक्षित करना और कमाना तथा उससे सम्बन्धित अन्य सहायक उद्योग एवं कुटीर चमड़ा — उद्योग ।

6—घानी — तेल — उद्योग ।

7—हाथ से बना कागज ।

8—गन्ने का गुड़ एवं खांडसारी शक्कर बनाना ।

9—ताड़ का गुड़ बनाना तथा ताड़ से बनने वाली अन्य वस्तुओं के उद्योग ।

10—अनाज एवं दाल की कुटाई, छंटाई और सफाई आदि (Processing) ।

11—रेशा उद्योग (नारियल की जटा के अलावा) ।

12—लोहारगीरी तथा बढ़ईगीरी [निमार्ण और कार्य जिसमें शक्ति (Power) का प्रयोग न हो ; अम्बर चर्खा तथा उसके पुर्जों के बनाने मे शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।]